न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 04 / 2023

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

चैनसिंह पुत्र भंवरलाल
जाति दरोगा निवासी ग्राम
भावी तहसील बिलाडा

1. अर्जुनराम पुत्र किरताराम
2. कानाराम पुत्र किरताराम
3. भेराराम पुत्र किरताराम
   जातियान जाट (सोउ)
   निवासीगण भावी बिलाडा
4. बुधाराम पुत्र किशनाराम
5. दिनेश पुत्र किशनाराम
6. संतोष पुत्री किशनाराम
   जातियान जाट(सारण) भावी
   बिलाडा जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री पारस चौहान एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 9/7/24

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2088 रकबा 2.1277 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2088 रकबा 2.1277 हेक्टेयर के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 2112 रकबा 1.4238 हैक्टेयर के उतरी दिशा की ओर ग्राम भावी से ग्राम लाम्बा जाने वाली सड़क खसरा नम्बर 2112 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त गैर मुमकीन रास्ते पर मुडिया सड़क बनी हुयी है। ग्राम भावी से ग्राम लाम्बा जाने वाली मुडिया सड़क के ठीक उतरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हेक्टेयर मे काश्त कार्य करने हेतु पहुचता है, इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2088 रकबा 2.1277 हेक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हेक्टेयर में स्थित मार्क ABCD स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ABCDके रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2088 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह है कि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2089 के मार्क ABCDभाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2088 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2089 के ABCDभाग से ही भूमि खसरा नम्बर 2088 में जाने हेतु प्रार्थी अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाता है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2089 के ABCD भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है, इस कारण प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 2089 के ABCDभाग के रास्ते को राजकीय रास्ता धोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2089 के ABCDभाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हैक्टेयर के संयुक्त खातेदार श्रीमती विद्यादेवी पुत्री किरताराम का देहान्त हो चुका है। इस कारण श्रीमती विद्यादेवी के विधिक वारिसान को पक्षकार के तौर पर संयोजित किया गया है।भूमि खसरा नम्बर 2089 के ABCDभाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थी का यह ABCDमार्क का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 2089 के ABCDमार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सिकरा

संख्या 1 से 6 की खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हेक्टेयर में स्थित ABCDमार्क की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2088 रकबा 2.1277 हेक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हेक्टेयर के ABCDभाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 2088 में पहुँचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री पारस चौहानएडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या– 4 से 6 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे काश्त मे है मगर वर्तमान मे बंटवाडा नही हो रखा है इस कारण खसरा संख्या 2089 में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का नाम बतौर संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है मगर एकमात्र कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का है तथा सालों साल फसल बुवाई करता है। तथा वही फसल काटता है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा की ओर माठ रास्ते के रूप में नहीं है वह माठ अप्रार्थी के खेत की सुरक्षा हेतु बनाई हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2088 में आने वाले का रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं था व न ही मौके पर है तथा अप्राथी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 2089के पश्चिम दिशा में से होकर प्रार्थी कभी भी आवागमन नहीं किया है इस प्रकार उक्त पद कतई गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम भावी जे.बी. की सरहद में खसरा नम्बर 2112 के उत्तरी दिशा की ओर ग्राम भावी से लाम्बा जाने वाली सडक खसरा नम्बर 2112 गै.मु.रास्ता स्थित है उक्त रास्ते के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उत्तरी दिशा की ओर से अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 2089 स्थित है। उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग कर वाहन आदि नहीं ले गये है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता जोधपुर जयपुर हाईवे के समीप स्थित भूमि में से होकर आता जाता रहा है। जो एक मात्र वही से होकर आता जाता है। बावजूद प्रार्थी अपने भूमि खसरा नम्बर 2088 में आने जाने का रास्ता लेना चाहता है। तो वह अप्रार्थी संख्या 2 को रास्ते की जमीन के बदले प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 2088 में से जमीन दे देवे तो उसका रास्ता अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा की ओर माठ पर रास्ता मार्क ABCD कायम किया जा सकता है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा की ओर माठ के सहारे सहारे आज दिन तक प्रार्थी ने कभी भी वाहन लाने व ले जाने का उपयोग अपने खेत खसरा नम्बर 2088 में जाने के लिए नहीं किया है। बावजूद प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को जबरन हडपने की नियत से झूठी मुकदमा किया है जिसे भारी हर्जे खर्चे के साथ खारीज किया जावे। पद सं. 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी जो अपनी भूमि खसरा नम्बर 2088 में आने का रास्ता अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा की ओर जो बता रहा है। वह बिल्कुल गलत बता रहा है। अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा की ओर कोई माठ के चिपता मार्क ABCD मौके पर मौजुद नहीं है। मार्क ABCD अप्रार्थी के खेत की सुरक्षा हेतु माठ बनाई हुई है। जहां रास्ता न तो पूर्व में था एवं न ही अब वर्तमान में कोई रास्ता ही है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता एक मात्र जयपुर जोधपुर हाईवे के चिपता भूमि में से होकर आज दिन आते जाते रहे है। इस प्रकार प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अपूर्णीय क्षति तो अप्रार्थी को उसकी भूमि में जबरन रास्ता निकालने के कारण होगा जिससे अप्रार्थी के हिस्से में आई भूमि मौके पर रकबे से कम हो जायेगी तथा एक मात्र यही भूमि अप्रार्थी के पास होने से अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में संभव नहीं होगा। विकल्प में यदि प्रार्थी अपने रास्ते की भूमि के बदले में अपनी भूमि खसरा नम्बर 2088 में से भूमि अदा कर देता है तो उसके लिये अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2088 में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा में न तो पूर्व में

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

था व न ही वर्तमान में है। बावजूद जबरन प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2089 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी को रास्ते के बदले भूमि दिये बगैर ही रास्ता राजस्व रेकर्ड में कायम कर दिया तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी को रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिये बगैर रास्ता लाल स्याही से तरमीम कतई नहीं करवाया जावे एवं ऐसा आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रार्थी के द्वारा भूमि के बदले भूमि दिये बगैर जारी नहीं करावे।

अप्रार्थी सं. 7 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम भावी जे.बी. के खेत खसरा नम्बर 2088 में आने जाने का कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आस पडौस के खेतों से आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही एक मात्र नजदीकी रास्ता है। जो सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी.एल.सी दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। वांछित रास्ते की भूमि असिंचित तथा डामर सडक नेशनल हाईवे से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 2089 में से 10 बिस्वा बनता है। वांछित रास्ते की भूमि की चौडाई 26.4 फीट व लम्बाई 330 फीट मौका फर्द के अनुसार है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एलसी.दर की दुगुनी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है

क्र स	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा उपयोग हेतु रकबा	रास्ते की चौड़ाइ ' फीट में	प्रार्थी का हिस्सा	वर्तमान डी. एल.सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1	अर्जुनराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/4 हिस्सा	26.4 फीट	1/4 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	8,930/-
2	कानाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/4 हिस्सा	26.4 फीट	1/4 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	8,930/-
3	भैराराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/4	26.4 फीट	1/4 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	8,930/-

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

			हिस्सा				
4	(विद्यादेवी के वारिसान) बुधाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/12 हिस्सा	26.4 फीट	1/4 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	2,976.66/-
5	(विद्यादेवी के वारिसान) दिनेश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/12 हिस्सा	26.4 फीट	1/4 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	2,976.66/-
6	(विद्यादेवी के वारिसान) संतोष पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी भावी	2089	10 बिस्वा मे से 1/12 हिस्सा	26.4 फीट	1/4 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा	220673 प्रति हैक्टेयर	2,976.66/-

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 2089 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अदा करने को तैयार है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2088 रकबा 2.1277 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8495 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 2088 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2088 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.07.2023 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत) 9/7/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 9/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत) 9/7/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा